

**बिहार सरकार**  
**निर्वाचन विभाग**  
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय  
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), बिहार, पटना – 800015

दूरभाष सं०- 0612-2217956  
फैक्स- 0612-2215611/2215978  
ई-मेल- ceo\_bihar@eci.gov.in

Press Release

दिनांक :- 10.10.2015

1. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के अवसर पर प्रथम चरण के निर्वाचन वाले विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ निम्नवत् है:-

<b>(i) Details of Electors</b>	
<b>Total Electors</b>	13572339
a) General Elector	13555260
Male	7237253
Female	6317602
Others	405
b) Service Elector	17079
Male	11783
Female	5296
Others	0

**(ii) Other Details**

- |   |   |
|---|---|
| (a) Total Numbers of Candidates   | 583   |
| (b) Total Numbers of Female Candidates  | 54  |
| (c) No. & Name of the Assembly constituency with maximum number of candidates   | 135-Morwa & 137-Mohiuddinnagar of Samastipur district   |
| (d) No. & Name of the Assembly constituency with minimum number of candidates   | 239-Warsaliganj of Nawada district  |
| (e) No. & Name of the Assembly constituency where more than one women candidate | 133-Samastipur, 135-Morwa, 137-Mohiuddinnagar, 139-Rosera (SC), 142-Bachchwara, 146-Begusarai, 149-Khagaria, 151-Parbatta, 152-Bihpur, 159-Amarpur, 160-Dhauriya (SC), 162-Katoria (ST), 238- |

	Gobindpur & 243-Chakai.
(f) No. of EVM,s to be used in the Election	CU-13,212 BU-2,402
(g) Largest Assembly Constituency area wise	243-Chakai
(h) Smallest Assembly Constituency area wise	156-Bhagalpur
(i) Largest Assembly Constituency Electorate wise	168-Lakhisarai
(j) Smallest Assembly Constituency Electorate wise	170-Barbigha
(k) No. of Polling Station	12686
(l) No. of Auxiliary Polling Station	526
(m) No. of Total Polling Station	13212

**(iii) Party wise List of Candidates**

Bahujan Samaj Party	41
Indian National Congress	8
Bharatiya Janata Party	27
Communist Party of India	25
Communist Party of India (Marxist)	12
Nationalist Congress Party	6
Janata Dal (United)	24
Rashtriya Janata Dal	17
Lok Jan Shakti Party	13
Rashtriya Loktantrik Samta Party	6
Other Registered & Non-recognised Party	210
Independents	194

**Total 583**

2. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के प्रथम चरण के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता के Enforcement के द्वारा अभी तक कुल निम्नलिखित मामले दर्ज हुए :-

Defacement in Public Property (Wall Writing, Posters, Banners, Others)	148
Defacement in Private Property (Wall Writing, Posters, Banners, Others)	15

Misuse of Vehicle (Beacon, light, Flag)	18
Violation of Loudspeaker Act	3
Illegal Meeting/Speech etc.	4
Others	14
3. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के प्रथम चरण के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में Law & Order के तहत निम्नलिखित मामले अभी तक सामने आए :-	
No. of Arms/Weapons seized	303
No. of Explosives seized	105
No. of cartridges seized	940
No. of Bombs seized	61
No. of illegal arms manufacturing centres raided and seizures made	25
No. of Licensed Arms deposited	6,976
No. of Licensed Arms Cancelled	1,173
No. of persons bound down under preventive section of Cr. PC	47,276
No. of non-bailable warrants executed	14,877
Fine collected in vehicle checking	Rs. 2,10,10,602
4. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के अवसर पर प्रथम चरण के विधान निर्वाचन क्षेत्रों के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 (ग) में निहित प्रावधानों के आलोक में उक्त निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व से ही सभी प्रकार के शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।	
5. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) के अनुसार "कोई भी व्यक्ति किसी मतदान क्षेत्र में, उस मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले अड़तालीस घंटों की कालावधि के दौरान – (क) निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस न बुलाएगा, न आयोजित करेगा, न उसमें उपस्थित होगा, न उसमें सम्मिलित होगा और न उसे संबोधित करेगा; या (ख) चलचित्र, टेलीविजन या वैसे किसी अन्य साधनों द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का संप्रदर्शन नहीं करेगा; या (ग) कोई संगीत समारोह या कोई नाट्य अभिनय या कोई अन्य मनोरंजन या आमोद-प्रमोद जनता के सदस्यों को उसके प्रति आकर्षित करने की दृष्टि से, आयोजित करके या उसके आयोजन की व्यवस्था करके,	

जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नहीं करेगा।" अतः प्रथम चरण के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व से ही उक्त प्रतिबंध लागू होंगे।

6. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 (ख) में निहित प्रावधानों के आलोक में किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या अन्य स्थापना में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 में मतदान करने का हकदार है, मतदान के दिन प्रथम चरण के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में दिनांक 12.10.2015 (सोमवार) को सवैतनिक अवकाश मंजूर किया जायेगा।
7. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के प्रथम चरण के 49 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का मतदान दिनांक 12.10.2015 (सोमवार) को निर्धारित है। इन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान का समय निम्नवत् है :-

जिला का नाम	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का संख्या एवं नाम	मतदान का समय
1	2	3
समस्तीपुर	131- कल्याणपुर (अ0जा0)	प्रातः 7:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक
	132- वारिसनगर	प्रातः 7:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक
	133- समस्तीपुर	प्रातः 7:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक
	134- उजियारपुर	प्रातः 7:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक
	135- मोरवा	प्रातः 7:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक
	136- सरायरंजन	प्रातः 7:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक
	137- मोहिउद्दीननगर	प्रातः 7:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक
	138- विभूतिपुर	प्रातः 7:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक
	139- रोसड़ा (अ0जा0)	प्रातः 7:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक
	140- हसनपुर	प्रातः 7:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक
बेगूसराय	141- चेरिया बरियारपुर	प्रातः 7:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक
	142- बछवाड़ा	प्रातः 7:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक
	143- तेघड़ा	प्रातः 7:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक
	144- मटिहानी	प्रातः 7:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक
	145- साहेबपुर कमाल	प्रातः 7:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक
	146- बेगूसराय	प्रातः 7:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक
	147- बखरी (अ0जा0)	प्रातः 7:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक
खगड़िया	148- अलौली (अ0जा0)	प्रातः 7:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक

	149- खगड़िया	प्रातः 7:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक
	150- बेलदौर	प्रातः 7:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक
	151- परबत्ता	प्रातः 7:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक
भागलपुर	152- बिहपुर	प्रातः 7:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक
	153- गोपालपुर	प्रातः 7:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक
	154- पीरपैती (अ0जा0)	प्रातः 7:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक
	155- कहलगांव	प्रातः 7:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक
	156- भागलपुर	प्रातः 7:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक
	157- सुलतानगंज	प्रातः 7:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक
	158- नाथनगर	प्रातः 7:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक
बांका	159- अमरपुर	प्रातः 7:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक
	160- धौरैया (अ0जा0)	प्रातः 7:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक
	161- बांका	प्रातः 7:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक
	162- कटोरिया(अ0ज0जा0)	प्रातः 7:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक
	163- बेलहर	प्रातः 7:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक
मुंगेर	164- तारापुर	प्रातः 7:00 बजे से सायं 3:00 बजे तक
	165- मुंगेर	प्रातः 7:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक
	166- जमालपुर	प्रातः 7:00 बजे से सायं 3:00 बजे तक
लखीसराय	167- सूर्यगढ़ा	प्रातः 7:00 बजे से सायं 3:00 बजे तक
	168- लखीसराय	प्रातः 7:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक
शेखपुरा	169- शेखपुरा	प्रातः 7:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक
	170- बरबीघा	प्रातः 7:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक
नवादा	235- रजौली (अ0जा0)	प्रातः 7:00 बजे से सायं 3:00 बजे तक
	236- हिसुआ	प्रातः 7:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक
	237- नवादा	प्रातः 7:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक
	238- गोबिन्दपुर	प्रातः 7:00 बजे से सायं 3:00 बजे तक
	239- वारसलीगंज	प्रातः 7:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक
जमुई	240- सिकन्दरा (अ0जा0)	प्रातः 7:00 बजे से सायं 3:00 बजे तक
	241- जमुई	प्रातः 7:00 बजे से सायं 3:00 बजे तक
	242- झाझा	प्रातः 7:00 बजे से सायं 3:00 बजे तक
	243- चकाई	प्रातः 7:00 बजे से सायं 3:00 बजे तक

8. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के अवसर पर मतदान के समय निर्वाचकों की पहचान के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निम्नलिखित वैकल्पिक दस्तावेजों की सूची जारी की गयी है :-

1 पासपोर्ट

- 2 ड्राइविंग लाइसेंस
- 3 राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
- 4 बैंको/डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक
- 5 पैन कार्ड
- 6 आरजीआई एवं एनपीआर द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड
- 7 मनरेगा जॉब कार्ड
- 8 श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
- 9 फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
- 10 निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची एवं
- 11 सांसदों, विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र।

9. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के अवसर पर प्रथम चरण के निर्वाचन वाले विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचकों से संबंधित जानकारियाँ निम्नवत् हैं:-

District Name	Assembly Constituency No. & name	Total Electors								
		General Electors				Service Elector				Grand Total
		Male	Female	Others	Total	Male	Female	Other	Total	
SAMASTIPUR	131-Kalyanpur (SC)	157057	136042	3	293102	254	162	0	416	293518
	132-Warisnagar	150470	131472	0	281942	127	80	0	207	282149
	133-Samastipur	132957	113372	3	246332	272	105	0	377	246709
	134-Ujjiarpur	142044	123198	5	265247	183	101	0	284	265531
	135-Morwa	127857	110649	9	238515	282	142	0	424	238939
	136-Sarairanjan	136800	119277	1	256078	416	196	0	612	256690
	137-Mohiuddinnagar	128105	108348	1	236454	444	161	0	605	237059
	138-Bibhutipur	128441	112483	8	240932	182	93	0	275	241207
	139-Rosera (SC)	157549	138265	5	295819	88	52	0	140	295959
	140-Hasanpur	138840	122676	9	261525	122	74	0	196	261721
BEGUSARAI	141-Cheria Bariarpur	122033	109373	16	231422	96	27	0	123	231545
	142-Bachhwara	145353	126234	5	271592	142	81	0	223	271815

	143-Teghra	144823	123744	16	268583	156	93	0	249	268832
	144-Matihani	164197	140489	0	304686	332	25	0	357	305043
	145-Sahebpur Kamal	125327	108226	8	233561	205	74	0	279	233840
	146-Begusarai	167398	143881	9	311288	193	94	0	287	311575
	147-Bakhri (SC)	130174	116847	9	247030	37	7	0	44	247074
KHAGARIA	148-Alauli (SC)	120565	108267	6	228838	128	74	0	202	229040
	149-Khagaria	126409	109488	6	235903	283	120	0	403	236306
	150-Beldaur	149796	132191	10	281997	164	57	0	221	282218
	151-Parbatta	152409	132599	3	285011	872	291	0	1163	286174
BHAGALPUR	152-Bihpur	129442	115256	5	244703	640	322	0	962	245665
	153-Gopalpur	135660	121235	11	256906	673	327	0	1000	257906
	154-Pirpanti (SC)	163778	143150	6	306934	600	274	0	874	307808
	155-Kahalgaoon	162219	145699	2	307920	167	113	0	280	308200
	156-Bhagalpur	169817	146465	19	316301	217	118	0	335	316636
	157-Sultanganj	164131	144190	22	308343	601	205	0	806	309149
	158-Nathnagar	159799	140258	11	300068	429	185	0	614	300682
BANKA	159-Amarpur	149210	127051	10	276271	390	169	0	559	276830
	160-Dhauraiya (SC)	143742	125221	6	268969	162	66	0	228	269197
	161-Banka	124591	110933	5	235529	172	78	0	250	235779
	162-Katoria (ST)	124145	108742	3	232890	39	13	0	52	232942
	163-Belhar	154407	135323	5	289735	116	56	0	172	289907
MUNGER	164-Tarapur	155800	133144	9	288953	160	68	0	228	289181
	165-Munger	169942	141769	27	311738	238	132	0	370	312108
	166-Jamalpur	163029	133058	11	296098	169	89	0	258	296356
LAKHISARAI	167-Suryagarha	170753	145019	2	315774	520	258	0	778	316552
	168-Lakhisarai	183904	158581	8	342493	214	129	0	343	342836
SHEIKHPURA	169-Sheikhpura	121467	106862	9	228338	145	62	0	207	228545
	170-Barbigha	108663	95387	8	204058	157	64	0	221	204279
NAWADA	235-Rajauli (SC)	158324	144035	22	302381	110	42	0	152	302533
	236-Hisua	179710	162527	15	342252	219	107	0	326	342578
	237-Nawada	167626	153055	11	320692	229	99	0	328	321020
	238-Gobindpur	153641	136884	13	290538	93	39	0	132	290670
	239-Warsaliganj	169718	153806	17	323541	223	106	0	329	323870
JAMUI	240-Sikandra (SC)	149184	129196	1	278381	27	15	0	42	278423
	241-Jamui	150301	128720	7	279028	47	22	0	69	279097
	242-Jhajha	162418	141172	1	303591	34	19	0	53	303644

	243-Chakai	143228	123743	7	266978	14	10	0	24	267002
	Total	7237253	6317602	405	13555260	11783	5296	0	17079	13572339

10. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 को निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से संपन्न कराने हेतु भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के कार्यालय से दिये गये निदेश के आलोक में पूरे राज्य में अवैध देशी/विदेशी शराब के विरुद्ध, छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत आज कुल 4,978 लीटर अवैध शराब के अतिरिक्त पूर्णिया जिला से लगभग 13 किलोग्राम गॉंजा जब्त किया गया।

पश्चिम चम्पारण जिला में ₹3,26,000/-, अररिया जिला में ₹2,05,000/-, सारण जिला में ₹1,04,440/-, वैशाली जिला में ₹18,53,021/- एवं नालन्दा जिला में ₹97,500/- जाँच के दौरान प्राप्त हुए जिसकी छानबीन पुलिस तथा आयकर अधिकारियों द्वारा की जा रही है।

11. आदर्श आचार संहिता के Enforcement के द्वारा आज निम्नलिखित मामले दर्ज हुए :-
- |   |   |
|---|---|
| Defacement in Private Property (Wall Writing, Posters, Banners, Others) | 1 |
| Misuse of Vehicle (Beacon, light, Flag)                                 | 8 |
| Violation of Loudspeaker Act  | 1 |
| Illegal Meeting/Speech etc.   | 9 |
| Others  | 5 |
12. Law & Order के तहत निम्नलिखित मामले आज सामने आए :-
- |  |               |
|--|---------------|
| No. of Arms/Weapons seized                                   | 10            |
| No. of cartridges seized                                     | 11            |
| No. of Bombs seized  | 1             |
| No. of Licensed Arms deposited                               | 1015          |
| No. of persons bound down under preventive section of Cr. PC | 4,941         |
| No. of non-bailable warrants executed                        | 426           |
| Fine collected in vehicle checking                           | Rs. 20,07,864 |
13. उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई आज की गई :-
- |                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| No. of prohibition cases registered | 55 |
|-------------------------------------|----|



No. of raids conducted

136

Volume of illicit liquor seized during raids

7,758 litre

No. of persons arrested

65

Amount of fine imposed

Rs. 1,57,200

14. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के अवसर पर चतुर्थ चरण के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों हेतु आज दिनांक 10.10.2015 को निम्नलिखित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से नाम-निर्देशन पत्र दाखिल हुआ है :-

जिला का नाम	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का संख्या एवं नाम	आज दाखिल नाम-निर्देशन पत्रों की संख्या
1	2	
पश्चिम चम्पारण	1-वाल्मीकिनगर	1
	3-नरकटियागंज	2
	4-बगहा	1
	6-नौतन	1
	8-बेतिया	2
	9-सिकटा	2
पूर्वी चम्पारण	11-सुगौली	2
	12-नरकटिया	5
	13-हरसिद्धि (अ0जा0)	1
	16-कल्याणपुर	1
	18-मधुबन	2
	21-ढाका	1
शिवहर	22-शिवहर	2
सीतामढ़ी	23-रीगा	2
	25-परिहार	1
	28-सीतामढ़ी	1
	29-रुन्नीसैदपुर	3
मुजफ्फरपुर	88-गायघाट	1
	90-मीनापुर	3
	91-बोचहाँ (अ0जा0)	1
	92-सकरा (अ0जा0)	1
	93-कुढ़नी	4
	94-मुजफ्फरपुर	2
	95-काँटी	1

	96-बरुराज	1
	97-पारु	1
	98-साहेबगंज	1
गोपालगंज	99-बैकुण्ठपुर	3
	100-बरौली	2
	101-गोपालगंज	1
	102-कुचायकोट	1
सिवान	105-सिवान	3
	106-जीरादेई	2
	107-दरौली (अ0जा0)	1
	109-दरौंदा	1
	110-बड़हरिया	2
	111-गोरेयाकोठी	2
	112-महराजगंज	3
<b>कुल योग</b>		<b>67</b>

इस प्रकार चतुर्थ चरण हेतु आज तक कुल 233 नाम-निर्देशन पत्र दाखिल हो चुका है।

15. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के अवसर पर पंचम चरण के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों हेतु आज दिनांक 10.10.2015 को निम्नलिखित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से नाम-निर्देशन पत्र दाखिल हुआ है :-

जिला का नाम	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का संख्या एवं नाम	आज दाखिल नाम-निर्देशन पत्रों की संख्या
1	2	
मधुबनी	33-खजौली	1
	35-बिस्फी	1
	38-झंझारपुर	1
	39-फुलपरास	1
सुपौल	41-निर्मली	1
	45-छातापुर	2
अररिया	49-अररिया	1
किशनगंज	52-बहादुरगंज	1
पूर्णिया	60-रूपौली	1
	61-धमदाहा	2
	62-पूर्णिया	1

कटिहार	64-कदवा	1
	66-प्राणपुर	1
मधेपुरा	73-मधुपेरा	1
सहरसा	77-महिषी	1
दरभंगा	80-बेनीपुर	1
	82-दरभंगा ग्रामीण	1
	84-हायाघाट	1
	85-बहादुरपुर	1
	86-कैवटी	1
	87-जाले	2
<b>कुल योग</b>		<b>24</b>

इस प्रकार पंचम चरण हेतु आज तक कुल 50 नाम-निर्देशन पत्र दाखिल हो चुका है।

16. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के दौरान Flying Squad तथा Static Surveillance Team मतदान के 72 घंटे पूर्व से 24 X 7 कार्य करेगी तथा उन्हें इस दौरान पूरी तरह से सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग का भी निर्देश है। आयोग द्वारा सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में आम लोगों के लिए अपील जारी करने का भी निर्देश दिया गया है जिसमें मतदाताओं के लिए किसी प्रकार का प्रलोभन दिया जाना/लिया जाना भारतीय दंड संहिता की धारा 171 B एवं 171 C के तहत दंडनीय अपराध है का उल्लेख होगा। आयोग द्वारा यह भी निर्देश दिया गया है कि मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व वैसे सभी राजनैतिक पदधारी, जिन्हें राज्य द्वारा सुरक्षा दी गयी है। उस क्षेत्र में उपस्थित नहीं रहेंगे जहाँ के वे मतदाता नहीं है। मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से किसी भी प्रकार के Bulk SMS प्रसारित करने पर रोक रहेगी। यह प्रावधान रेडियो पर भी लागू होगा।

\*\*\*\*\*

# ELECTION COMMISSION OF INDIA

NIRVACHAN SADAN, ASHOKA ROAD, NEW DELHI-110001

464/INST/2015-EPS

Dated : 10<sup>th</sup> October, 2015

To

The Chief Electoral Officer,  
Bihar, Patna.

**Sub: General Election to Legislative Assembly of Bihar – Instructions on 72 hours/48 hours before the end of poll.**

Sir,

I am directed to state that Commission has issued various instructions on the above subject and a brief summary of ECI instructions on the above matter is as under:

**1. Strengthening coverage of FSs and SSTs during Last 72 Hrs. before ending with the hour fixed for end of poll**

- SSTs & FST shall be operated by the DEO and S.P. in consultation with General Observer and Expenditure Observers and the mechanism shall be strengthened in last 72 Hrs. before the poll, particularly in vulnerable areas or in Expenditure sensitive pockets and during such period.
- The SST & FST shall not be dismantled under any circumstances and there should be no laxity during this period. The SST & FST should act in shifts in such a manner that they operate 24\*7 during the 72 hours period so that area is properly sanitized and the team members of FST/SST are not over stressed. They should be more alert and vigilant in the night.
- The District Election Officer shall inform the political parties and the candidates and make appeal in the leading newspaper as per format prescribed regarding provision of section 171B and 171C regarding accepting and giving gratification in cash or kind and intimidation of voters or any other person is punishable offence.

*(Reference Commission's letter no 76/Instruction/EEPS/2015/Vol-II, dated, 29<sup>th</sup> May, 2015 and sample appeal of the compendium of instruction on FEM).*

**2. Restriction on presence of political functionaries in the constituency during 48 hours ending with the hour fixed for the close of poll.**

- Under Section 126 of the Representation of the People Act, 1951, in the period of 48 hours ending with the hour fixed for the close of poll, the campaign will come to an end.
- After the campaign period is over, no campaign can take place within the constituency, presence of political functionaries / party workers / procession functionaries / campaign functionaries etc., who have been brought from outside the constituency and who are not voters of the constituency, should not continue to remain present in the constituency.
- The district election administration / police administration shall ensure the above.
- Checking of kalyan mandapams / community halls etc., where such people are kept or housed by teams consisting of Police/Administration officials.
- Verification of lodges and guesthouses to keep a track of the list of occupants.
- Setting up check-posts in the constituency borders and track the vehicular movement from outside the constituency.
- Verify the identity of the people / group of people in order to find out whether they are voters or not and establish their identity.

*(Refer Commission's letter no. 464/INST/2007-PLN-1 dated 8<sup>th</sup> January, 2007.)*

**3. Presence of political functionaries with security**

- All District Election Officers and Superintendents of Police shall ensure that all those political functionaries who have been provided security by the State shall not be allowed to remain present in the constituencies in which they are not electors after the period of campaigning is over and that they shall also restrict the movements of such political functionaries in the constituency in which they are bonafide electors on the day of poll before and after they cast their votes. Exception for office bearer of the political party shall declare his place of stay in the State Headquarters and his movement during the period in question shall remaining confined normally between his party office and place of his stay.

*(Reference Commission's letter no PS/AK/2005, dated 10<sup>th</sup> September, 2005 and Commission's letter No. 464/INST/2008/PLN-1, dated 27<sup>th</sup> February, 2008.)*

#### 4. Applicability of provisions of section 126 of R.P.Act on SMS and radio

There shall be prohibition of transmitting bulk SMSs of Political nature the period of 48 hours ending with the hours fixed for conclusion of poll. The provisions of said section do apply on radio too.

*(Reference Commission's letter no. 464/INST/2008/EPS, dated 5<sup>th</sup> November, 2008 and 3/9/2007/JS II 3<sup>rd</sup> September, 2007. )*

It is further clarified that in case any person come to know about violation of section 126 of the R.P.Act 1951, he/she is free to file a complaint before the concerned police authorities.

You are requested to give due publicity of it amongst all stake holders including political parties/candidates and media.

All DEM/SP are once again directed that strict compliance of above instruction in particular be ensured, besides complying with other instructions in general.

Yours faithfully,

  
(SUMIT MUKHERJEE)  
SECRETARY